

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2024/
प्रार्थीगण

1 गुमानसिंह 2 धर्मसिंह 3
भाखरसिंह 4 रमेश 5
रेवन्तसिंह पिसरान
सोहनसिंह 6 जेठीकंवर पत्नी
सोहनसिंह जाति राजपूत
निवासी सरका पार बांदरा
तहसील बाड़मेर ग्रामीण व
जिला बाड़मेर।

बनाम

दिनांक -

अप्रार्थीगण


1 किशनसिंह पुत्र तनसिंह 2 ओमकंवर पत्नी तनसिंह 3 गंगासिंह
4 हुकमसिंह पिसरान तनसिंह 5 गणपतसिंह 6 चन्द्रकंवर 7
टीकमसिंह 8 मागुकंवर 9 शैतानसिंह 10 हडमत सिंह पिसरान
रायसिंह 11 सुजानसिंह 12 चन्दनसिंह पुत्र जवारसिंह के कायम
मुकाम 12/1 भगवानसिंह 12/2 तेजसिंह 12/3 अणसीकंवर
12/4 गणपतसिंह पुत्र चन्दनसिंह के कायम मुकाम 12/4/1
सारोकंवर पत्नी गणपतसिंह 12/4/2 गेमसिंह 12/4/3
सवाईसिंह 12/4/4 रावलसिंह 12/4/5 फूलीकंवर 12/4/6
हापूकंवर 13 सवाईसिंह पुत्र धनसिंह 14 कानसिंह 15 खेतसिंह
16 तनसिंह पिसरान भूरसिंह 17 धापूकंवर पत्नी राणसिंह 18
नरपतसिंह 19 हेमसिंह पिसरान राणसिंह 20 खुमाणसिंह 21
डुगरसिंह 22 दुर्गसिंह पिसरान मंगलसिंह 23 खेतसिंह पुत्र
मानसिंह 24 खमाकंवर पत्नी मानसिंह 25 सवाईसिंह पुत्र मानसिंह
26 प्रेमसिंह 27 शिवदानसिंह पिसरान देशलसिंह 28 रावतसिंह पुत्र
हमीरसिंह जाति राजपूत निवासी सरका पार बांदरा तहसील
बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 456/2024

दिनांक- 27.08.24

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सरकापार पटवार हल्का बान्दरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर
के खेत खसरा संख्या 972/370 रकबा 3.3751 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई
करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल
में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.
1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/-
अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया
जावेगा।


(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
उपबाड़मेर अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2024/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बांदरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण गुमानसिंह पुत्र सोहनसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी बांदरा, तहसील बाड़मेर ग्रामीण व
जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी किशनसिंह पुत्र तनसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी बांदरा, तहसील बाड़मेर ग्रामीण व
जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर